



अभिलेख उपस्थापित।

-22

(1.) बिनोद पासवान एवं (2.) संजय पासवान दोनों के पिता स्व० देवकी दुसाध, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खाता संख्या-77, प्लॉट संख्या-2099, रकवा 0.0350 एकड़ (3.50 डिसमिल) (तीन दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि संजय रविदास पिता पोखन रविदास, निवास स्थान ग्राम-कटकमसांडी, पोस्ट एवं थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgemnt No.-RCMSON22014435 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-57/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 212/रा० दिनांक 12.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 698 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। प्रश्नगत भूमि खतियान से हासिल है। भूमि सर्वे रैयती है। खतियान माधो दुसाध वगै० के नाम से दर्ज है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.88 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.05 एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। आवेदक खतियानी रैयत के परपोता एवं जमाबंदी रैयत के परपोता हैं। आवेदक के शपथ पत्र संख्या 9999 दिनांक 19.04.2022 के अनुसार आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 75 डिसमिल भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 71.50 डिसमिल भूमि शेष बचेगी। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-343/1 माधो दुसाध वगै० के नाम से जमाबंदी कायम है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	का टिप्पण
1	2	
	<p>भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में (1.) बिनोद पासवान एवं (2.) संजय पासवान दोनों के पिता स्व० देवकी दुसाध, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खाता संख्या-77, प्लॉट संख्या-2099, रकवा 0.0350 एकड़ (3.50 डिसमिल) (तीन दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि संजय रविदास पिता पोखन रविदास, निवास स्थान ग्राम-कटकमसांडी, पोस्ट एवं थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	